ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 111-113
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ0 रीना कुमारी

एम०ए०, पीएच०–डी०– समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

Received-09.08.2023, Revised-10.08.2023, Accepted-15.08.2023 E-mail: akbar786ali888@gmail.com

सारांश: ***ग्राम्य विकास एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें गाँवों का सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण समाहित है। इसमें ऐसी नीतियों एवं कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जा सकता है जिससे गाँवों में रहने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों, शिल्पकारों एवं भूमिहीन श्रमिकों आदि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थिति में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त, कृषि, यातायात, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, विपणन एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान कर ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। रावर्ट चौम्बर्स (1983) के अनुसार ग्राम विकास एक व्यूह रचना है, जो एक समूह विशेष के लोगों, निर्धन ग्रामीण पुरुष एवं महिलाओं को वह सब प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जो वह चाहते हैं तथा जिसकी उनको आवश्यकता है। इसमें विशेषकर उन लोगों की सहायता सम्मिलित है जो निर्धनतम हैं तथा ग्रामीण लोगों में जीविकोपार्जन की तलाश में हैं। दूसरे शब्दों में, ग्राम विकास, विविध क्रियाओं का एक विस्तृत कार्यक्रम है जिसमें कृषि विकास, आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास, ग्रामीण नियोजन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संचार आदि सम्मिलित हैं (त्रिपाठी, 1988) । इस प्रकार, ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास से है, जिससे गाँव के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार हो सके।***

कुंजीभूत शब्द– सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, सीमान्त कृषकों, शिल्पकारों, यातायात, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, विपणन, भाग्यवाद।

भारत में दीर्घकाल की परतंत्रता, जमींदारों के शोषण, अशिक्षा, जातीयता, भाग्यवाद, अंधविश्वास आदि के कुप्रभावों से ग्रस्त ग्रामीण जनता का एक बड़ा वर्ग, जो जीवन यापन की सामान्य सुविधाओं से सर्वथा वंचित था, उभरकर आया। स्वातंत्र्योत्तर काल में यह वर्ग शासन के समक्ष एक बड़ी चुनौती था जिसे स्वीकार कर अनेक योजनायें कार्यान्वित की गईं। पंचवर्षीय एवं सामुदायिक विकास योजनाओं में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये :

1. ग्रामीण निर्धनता को समाप्त कर ग्रामवासियों के जीवन–स्तर को उन्नत बनाना।
2. ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या को हल करना ।
3. .षि की पिछड़ी दशा का सुधार करना और ग्रामीणों को कृषि के आधुनिकतम् साधनों की सुविधाएँ जुटाना।
4. ग्रामीण कुटीर व्यवसायों का पुनरूत्थान करना।
5. ग्रामवासियों में श्रम के प्रति लगाव पैदा करना, श्रमदान एवं स्वयं सेवा की भावना पैदा करना ।
6. ग्रामवासियों में सहयोगी एवं सामुदायिक जीवन व्यतीत करने की भावना उत्पन्न करना।
7. अशिक्षा का निवारण करना और शिक्षा तथा संस्कृति का प्रसार करना।
8. ग्रामीण लोगों को स्वच्छता एवं जन स्वास्थ का प्रशिक्षण देना।
9. ग्रामवासियों में राजनैतिक जागृति पैदा करना और उनमें प्रजातंत्र तथा स्वशासन की भावना उत्पन्न करना।
10. सहकारी भावनाओं का संचार कर सहकारी संस्थाओं का अधिकाधिक विकास करना।
11. आर्थिक विषमता दूर करना।
12. ग्रामवासियों के लिए उचित निवास, पानी, बिजली, यातायात आदि की व्यवस्था करना।
13. प्राकृतिक आपदाओं जैसे– बाढ़, अकाल, महामारी, सुखा, आदि से रक्षा के लिए प्रभावशाली उपायों को अपनाना।
14. गाँवों के आर्थिक सामाजिक ढाँचें के विकास के लिए नवीन परिवर्तनों को बढ़ावा देना।

ग्रामीण विकास का तात्पर्य मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाना है। इस प्रक्रिया में आर्थिक एवं सामाजिक दोनों पहलुओं का समावेश होता है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए व्यापक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण जनता के विकास पहलुओं को निम्न समूहों में विभक्त किया जा सकता है :

1. कृषि, भूमि सुधार, पानी की व्यवस्था, परिवहन और कृषि संबंधी गतिविधियाँ इत्यादि जो कि ग्रामीण जनसंख्या की जीविका का साधन है।
2. लघु और मध्यम स्तर पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना जो कि श्रमिकों और अन्य लोगों को कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त व्यवसाय दे सके।
3. आवास, सड़कें, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को एक कार्यशक्ति के रूप में लेना।
4. शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध करना।

संक्षेप में ग्रामीण विकास वह कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीणों के निम्न आय वर्ग के लोगों के सामाजिक–आर्थिक स्तर को मीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा उन्नत बनाया जाए।

गाँव का विकास करने के लिए सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं चलायी गयीं। गाँवों को कई नामों से चयनित करने का भी काम समय–समय पर किया जाता रहा है। लोहिया ग्राम, अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम के नाम पर गाँवों का चयन भी हुआ जिससे

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

की गाँव का समुचित विकास हो सके, लेकिन इन गाँवों का विकास केवल कागजों पर ही हुआ। ऐसे गाँव आज भी विकास की बाट जोह रहे हैं। इन गाँवों में तालाब, सुन्दरीकरण, शौचालय, इंदिरा आवास आदि विकास कार्य अपूर्ण है। गाँव में शौचालय निर्माण की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जल निकासी और पेयजल भी भगवान भरोसे ही हैं।

विभिन्न देशों के विकास से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आँकड़े साक्षी हैं कि न केवल भारत में, बल्कि विश्व के किसी भी देश में ग्रामीण लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाएं और उच्च स्तरीय सेवाओं तक उनकी पहुंच तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़ी अवस्था में पाई जाती है। पिछड़े और विकासशील देशों के संदर्भ में इस स्थिति में कुछ अधिक प्रगाढ़ता अवश्य परिलक्षित होती है। ग्रामीणों और ग्रामीण क्षेत्रों का यही पिछड़ापन इनके लिए कुछ विशेष प्रयास करने और कुछ खास कदम उठाने के लिए संबंधित सरकारों, स्वयं सेवी संगठनों, जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ समाज सुधारकों को प्रेरित करता रहा है। हमारे देश में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेष तौर पर लेकिन इससे पूर्व भी इस दिशा में छोटी–मोटी कोशिशें अवश्य की जाती रही है। आजादी से पूर्व अंग्रेजी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास पर ध्यान देने हेतु कुछ नीतिगत निर्णय लिए गए और विशेष रूप से वर्ष 1866 तथा 1880 में आए भीषण अकालों के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि सुधार, कुषि सुधार, सिंचाई कार्य, यातायात विस्तार तथा प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान केन्द्रित किये जाने पर बल दिया गया। ब्रिटिश काल में इस प्रकार की सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों को ग्रामीण विकास की शुरूआत कहा जा सकता है।

पंचायत संस्थाएं अब अपने तीन स्तरीय संस्थाओं (जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत) के माध्यम से ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों का सम्पादन कर रही हैं। वर्तमान में पंचायत संस्था ही ग्रामीण विकास की मुख्य माध्यम बन चुकी है। यह माध्यम सबसे सफल व सहज भाव से ग्रामीणजनों के लिए उपलब्ध रहता है एवं उनकी समस्या को आसानी से समझती भी है। केन्द्र व राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण सहयोगी अंग के रूप में जिला स्तर पर कार्यरत पंचायत संस्थायें उभर कर सामने आयी हैं। आज मनरेगा जो ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार की गारण्टी दिला रही है। इसमें भी पंचायतीराज संस्थाएँ ग्रामीण स्तर पर केन्द्र सरकार की मुख्य सहयोगी संस्था है। ग्रामीण क्षेत्र के चहुँमुखी विकास के संदर्भ में केन्द्र व राज्य की पंचायतीराज संस्था द्वारा लगातार बराबर सहयोग दिया जाता रहा है। पंचायत संस्थाओं के माध्यम से केन्द्र व राज्यों द्वारा विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत संस्थाएं अपने स्तर से प्रत्येक योजना में कारगर ढंग से कार्य कर रही हैं।

इन सभी कार्यक्रमों और सरकार की योजनाओं के चलते आज ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। आज जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ पक्की सड़कें हैं। जहां लैण्डलाइन फोन नहीं थे वहाँ आज मोबाइल सेवाएं भी पहुंच गई हैं। सरकार वर्तमान में गाँवों विकास के प्रति बराबर ध्यान दे रही है। आज आवश्यकता भी इसी बात की है, क्योंकि सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि यदि गाँवों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास अधर में रहेगा, क्योंकि आज मैकाले का निस्पंदन सिद्धान्त भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू करना उचित नहीं होगा जिसमें कोई भी व्यवस्था केवल उच्च वर्ग को दी जाती है और वह धीरे–धीरे छन–छन कर नीचे के लोगों तक आती है। आज स्थिति इसके विपरीत है। यदि निचला तबका सबल नहीं होगा तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश का सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो सकता है। सरकार ने इस बात को समझा है, जिसका परिणाम आज अधिकांश गाँवों में देखने को मिलता है।

गाँव की चौखट पर आज विभिन्न समस्याओं का दिन प्रतिदिन के प्रयासों से निदान हो रहा है। पंचायती प्रयासों एवं राष्ट्रीय सरकार के माध्यम से समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा रहा है। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है जिसने ग्रामीण समाज को न केवल गतिशील बनाने का प्रयास किया वरन बेरोजगारी जैसी विकराल समस्या को भी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपेक्षित और पिछड़ा क्षेत्र माने जाने वाला भारतीय ग्रामीण समाज जिसमें काम का विकल्प केवल पलायन माना जाता था। उसी समाज में आज रोजगार की गारंटी का विगुल बज चुका है। सही मायने में पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा भारत के विकास को नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। केवल शहरों के संसाधनों को केन्द्र मानने वाले आज ग्रामीण क्षेत्रों को भी तवज्जों दे रहे हैं। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां पंचायतों के प्रयासों के अनुकूल बनती जा रही हैं। आधारभूत संरचना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का रूख कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचें में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए भारत निर्माण की योजना जिसके 6 क्षेत्र ग्रामीण विद्युतीकरण, जल आपूर्ति, सड़कें, आवास, संचार और सिंचाई का दायित्व भी ग्राम पंचायतों की सक्रियता पर ही निर्भर करेगा। निःसंदेह आज पंचायतीराज व्यवस्था ग्रामीण विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत करता आइना बनता जा रहा है।

पंचायतीराज संस्थाएं हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की रीढ़ रही हैं, जिनके चारों ओर गाँव की समूची सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियां चलती थी। वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक में पंचायते ही हमारे गाँवों एवं ग्रामीणों की आवश्यकता की देखभाल करती थीं। आज हमें पुनः ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका को लेकर नियोजन एवं उसकी कार्यप्रणाली का संचालन करना चाहिए। इस तरह से ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका प्राचीन काल से महत्वपूर्ण रही है। उस समय में ग्रामीणों की सुख व दुख में पंचायतें ही सम्मिलित रहती थी। आधुनिक युग में भी पंचायतीराज की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसकी प्रमुख भूमिका के कारण ही आजादी के बाद संविधान के अन्तर्गत 73वाँ संविधान संशोधन सन् 1992 पारित किया गया। इसके माध्यम से पंचायतों को ग्रामीण विकास में और सक्रिय योगदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। पंचायत के कार्यों व उत्तरदायित्वों को देखते हुए वर्तमान में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में इसकी भूमिका में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि पंचायत ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तरह सफल नहीं हुई है। इसको विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, किन्तु तमाम बाधाओं के बावजूद पंचायतें अपने कार्यक्रम में सफल अवश्य हो रही हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि इनके

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

साथ आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से होता रहे। इससे पंचायतों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान हो जायेगा एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने से ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणजनों को लाभ मिलता रहेगा। भारत वर्ष में पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (परिषद) समान रूप से महत्वपूर्ण है तथा वे एक दूसरे की पूरक संस्था भी हैं। इसके पश्चात यदि इन विभिन्न इकाईयों के महत्व को तुलनात्मक दृष्टिकोण से ज्ञात किया जाए, तो स्पष्ट होता है कि इन सभी इकाईयों में ग्राम पंचायत का महत्व सबसे अधिक है। ग्राम पंचायत न केवल गाँवों में स्वराज्य नेतृत्व का विकास करने की प्रयत्न करती हैं, बल्कि इसी के माध्यम से एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था संभव हो पाती है, जिसमें शासन का प्रवाह नीचे से ऊपर होता है। ग्राम पंचायत ही वह माध्यम है, जिनके द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण के लिए सुझाव दिये जाते हैं तथा उन योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। भारत गाँवों का देश है इसलिए भारत की आत्मा ग्रामीणों में बसती है। आज जब तक विभिन्न विकास कार्यक्रमों में ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त नहीं होता, तब तक योजनाओं की सफलता की संभावना नहीं की जा सकती है। इसीलिए महात्मा गाँधी ने भी कहा था कि यदि भारत की जनता के लिए स्वराज्य का कोई अर्थ है तो एक प्रारम्भिक संस्था के रूप में ग्राम पंचायत के विकास को सबसे अधिक महत्व देना होगा। इसी संदर्भ में वेवर ने भी। यह लिखा है कि पंचायतें केवल ग्रामीण विकास का ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत के विकास की धुरी हैं। भारत में ग्रामीण पंचायत का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत छोटे–छोटे प्रत्येक स्थान पर ग्रामीणों को जनतंत्र की शिक्षा देने तथा उन्हें अपने विकास स्वयं करने का प्रशिक्षण देने वाला सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली माध्यम है। इसमें ग्रामीण गणतंत्र के सभी गुण विद्यमान हैं, जो परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जीवन के लिए ग्राम पंचायत जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। वह किसी भी अन्य संगठन द्वारा संभव नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता एम०एल० एवं शर्मा डी०डी० : भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, साहित्य भवनय आगरा, 1990.
2. अग्रवाल प्रमोद कुमार : भारत में पंचायती राज, ज्ञान गंगा, दिल्ली, 2006.
3. वर्मा शिव कुमार : पंचायती राज संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन, अखिल भारतीय पंचायत परिषद, दिल्ली, 1989.
4. प्रतापमल देवपुरा : ग्रामीण विकास का आधार आत्मनिर्भर सपंचायतें, राधाकृष्ण, नई दिल्ली।
5. संदीप परमार : ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान, राधा पब्लिकेशन्स, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली, 1998.
6. रामजी यादव : भारत में ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, प्रह्लाद गली, अंसारी रोड, दरियागंज, 2009.

*****